[2013] 4 एस.सी.आर. 883

कल्लाकुरिची तालुक सेवानिवृत्त अधिकारी संघ, तमिलनाडु, इत्यादि

बनाम

तमिलनाडु राज्य

(2012 की दीवानी अपील संख्या 8848-8849)

17 जनवरी, 2013

[डी.के. जैन और जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्तिगण]

सेवा विधि:

पेंशन - गणना - सरकारी आदेश - पेंशन की गणना करते समय, 01.06.1988 से पहले और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का वर्गीकरण किया गया - उक्त तिथि से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की तुलना में 01.06.1988 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 'महंगाई वेतन' का कम हिस्सा प्रदान किया गया - अभिनिर्धारित: ऐसा वर्गीकरण मनमाना और भेदभावपूर्ण है तथा संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन के रूप में अपास्त किए जाने योग्य है - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14 और 16 - तमिलनाडु पेंशन नियमावली, 1976 - नियम 30।

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14 और 16 - वैध वर्गीकरण - किसी वर्गीकरण को वैध होने के लिए, उसे न्यायसंगत उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए और उस विभेदीकरण का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए - प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के संदर्भ के बिना किया गया कोई भी वर्गीकरण मनमाना होगा और अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त संरक्षण का उल्लंघन करेगा तथा भेदभावपूर्ण होने के कारण अनुच्छेद 16 के तहत प्रदत्त संरक्षण का भी उल्लंघन करेगा - मनमानेपन के तर्क पर आधारित चुनौती के लिए भेदभाव की मात्रा अप्रासंगिक होती है।

शब्द और वाक्यांश - 'महंगाई वेतन' - अर्थ।

राज्य सरकार के उन कर्मचारियों ने, जो 01.06.1988 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे, दिनांक 09.08.1989 के सरकारी आदेश को चुनौती दी, जिसके द्वारा 01.06.1988 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले/हुए कर्मचारी के पेंशन लाभों की गणना एक निश्चित प्रतिशत पर 'महंगाई वेतन' में 'महंगाई भत्ता' जोड़कर की जानी आवश्यक थी। उक्त निर्धारण के कारण, 01.06.1988 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की तुलना में नुकसान की स्थिति में थे। उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी कि दिनांक 09.08.1989 का आदेश असंधारणीय था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को अपास्त कर दिया। अतः वर्तमान अपीलें की गई।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. भारत का संविधान सभी को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है। ये अधिकार किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत प्राप्त होते हैं। ऐसे निर्धारण में लाभ या हानि की मात्रा अप्रासंगिक और परिणामहीन होती है। किसी लाभ या हानि से संबंधित व्यक्ति वास्तव में किस हद तक प्रभावित होता है, यह न्यायालय के लिए इन आधारों पर उठाए गए दावे को स्वीकार या अस्वीकार करने का कभी भी वैध औचित्य नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं के दावे को केवल इस विश्वास के आधार पर खारिज करना कि 01.06.1988 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए घर ले जाने योग्य पेंशन उससे पहले सेवानिवृत्त होने वालों की तुलना में मामूली रूप से कम होगी, उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुख्य मुद्दे से पीछे हटने के समान है। वर्तमान मामले में, एक दी गई स्थिति में, 01.06.1988 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को 01.06.1988 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की तुलना में पर्याप्त हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत मुद्दे का निर्धारण करने में भूल की। [कंडिका 26] [910-बी-एफ]

2. एक वैध वर्गीकरण वास्तव में एक वैध विभेदीकरण है। संविधान का अनुच्छेद 16 वैध वर्गीकरण की अनुमति देता है। एक वैध वर्गीकरण न्यायसंगत उद्देश्य पर आधारित होता है। न्यायसंगत उद्देश्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले परिणाम में दूसरों की तुलना में कुछ लोगों को अलग विचार/व्यवहार के लिए चुनने की पूर्वधारणा निहित होती है। किसी वर्गीकरण को वैध होने के लिए आवश्यक रूप से दो परीक्षणों को संतुष्ट करना होगा। प्रथमतः, भेद करने का तर्कसंगत आधार न्यायसंगत उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। और द्वितीयतः, व्यक्तियों के एक समूह को दूसरे समूह से अलग चुनने का, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। विधिक रूप से, एक वैध वर्गीकरण के परीक्षण को एक बोधगम्य अंतरक पर आधारित वर्गीकरण के रूप में संक्षिप्त किया जा सकता है, जिसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध होता है। जब भी पेंशनभोगी के एक समूह को दूसरों की तुलना में अनुकूल विचार के लिए वर्गीकृत करने हेतु कोई अंतिम तिथि तय की जाती है, तो वैध वर्गीकरण के दोहरे परीक्षण को आवश्यक रूप से संतुष्ट किया जाना चाहिए। प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के संदर्भ के बिना किया गया कोई भी वर्गीकरण मनमाना होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त संरक्षण का उल्लंघन करेगा, तथा यह भेदभावपूर्ण भी होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत प्रदत्त संरक्षण का उल्लंघन करेगा। [कंडिका 27 और 30] [910-जी-एच; 911-ए-सी; 915-बी]

3. कर्मचारियों को लगातार बढ़ती महंगाई के प्रभावों को संतुलित करने के लिए 'महंगाई भत्ता' प्रदान किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महंगाई उस जीवन स्तर के आनंद में बाधा न डाले जिसके कर्मचारी आदी हैं। इसी प्रकार, 'महंगाई वेतन' का उद्देश्य लगातार बढ़ती महंगाई के प्रभावों को संतुलित करना है, ताकि एक पेंशनभोगी आजीविका के उन साधनों को पर्याप्त रूप से बनाए रख सके जिसका वह आदी रहा है। वर्तमान संदर्भ में, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों को 'महंगाई भत्ता' दिया जाता है। जब कोई राज्य सरकार 'महंगाई भत्ता' को

'महंगाई वेतन' के रूप में मानने का विकल्प चुनती है, तो उद्देश्य वही रहता है अर्थात्, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 'महंगाई वेतन' का लाभ देकर बाजार में बढ़ती महंगाई को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। चूंकि महंगाई का घटक सभी कर्मचारियों और सभी पेंशनभोगियों को समान रूप से प्रभावित करता है (चाहे उनकी सेवा में प्रवेश की तिथि या सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो), इसलिए महंगाई की इस समस्या के समाधान के लिए 'महंगाई वेतन' के अलग-अलग स्तरों को स्वतः ही स्वीकार करना संभव नहीं है। जिस प्रकार सेवा में प्रवेश की तिथि (कार्यरत कर्मचारियों के लिए) कार्यरत कर्मचारियों को दिए जाने वाले 'महंगाई भत्ता' को निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक होगी, क्योंकि इसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। ठीक उसी प्रकार, सेवानिवृत्ति की तिथि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए जाने वाले 'महंगाई वेतन' को निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक होगी। [कंडिका 27 और 28] [911-डी-ई, एफ-एच; 912-ए-सी]

4. वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने ऐसे किसी उद्देश्य का खुलासा नहीं किया है जिसे इस अंतिम तिथि द्वारा प्राप्त करने की इच्छा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आक्षेपित सरकारी आदेश दिनांक 09.08.1989 में किए गए वर्गीकरण के आधार/कारण के रूप में राज्य सरकार की वित्तीय बाधाओं का वर्णन नहीं किया गया था। किसी भी कर्मचारी को 'महंगाई भत्ता' को 'महंगाई वेतन' के रूप में प्राप्त करने का तब तक कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि राज्य सरकार 'महंगाई भत्ता' को 'महंगाई वेतन' के रूप में मानने का निर्णय नहीं लेती। और इसलिए, राज्य सरकार को यह चुनने का अधिकार है कि 'महंगाई भत्ता' को 'महंगाई वेतन' के रूप में माना जाना चाहिए या नहीं। इस नाते, राज्य सरकार के लिए यह विकल्प खुला है कि वह 'महंगाई भत्ता' के किसी भी हिस्से को 'महंगाई वेतन' के रूप में न माने। वित्तीय बाधाओं की स्थिति में, अपनाया जाने वाला यह सबसे उपयुक्त तरीका होगा। इसी प्रकार, राज्य सरकार को यह चुनने का अधिकार है कि 'महंगाई भत्ता' का कितना भाग 'महंगाई वेतन' के रूप में माना जाना चाहिए। इस नाते, राज्य सरकार के लिए 'महंगाई भत्ता'

के एक अंश या पूरे हिस्से को भी 'महंगाई वेतन' के रूप में मानने का विकल्प खुला है। तमिलनाडु पेंशन नियमावली, 1978 के नियम 30 के आधार पर, यह स्पष्ट है कि पेंशन की गणना के लिए कर्मचारी की उपलब्धियों में 'महंगाई वेतन' का घटक जोड़ा जाएगा। ऐसी स्थिति में जहां राज्य सरकार ने यह चुना है कि 'महंगाई भत्ता' के एक विशेष घटक को 'महंगाई वेतन' के रूप में माना जाएगा, वह पेंशनभोगियों को देय पेंशन की गणना करते समय उनके एक समूह और दूसरे समूह के बीच भेदभाव नहीं कर सकती। यद्यपि एक वैध वर्गीकरण ऐसे कार्य को न्यायसंगत ठहरा सकता है, लेकिन वर्तमान मामले में, राज्य सरकार उस वर्गीकरण के लिए कोई औचित्य/आधार लेकर सामने नहीं आई है जिसके द्वारा पेंशनभोगियों के एक समूह को अलग व्यवहार के लिए दूसरों से अलग किया गया है। इसलिए, आक्षेपित सरकारी आदेश दिनांक 09.08.1989 में राज्य सरकार द्वारा किया गया वर्तमान वर्गीकरण, जो 01.06.1988 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उससे पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की तुलना में 'महंगाई वेतन' का निचला घटक देकर नुकसान की स्थिति में रखता है, स्पष्ट रूप से मनमाना और भेदभावपूर्ण है, और इस नाते, भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन के रूप में अपास्त किए जाने योग्य है। [कंडिका 28, 29 और 31] [913-एफ-एच; 914-ए-ई; 915-ई-एफ]

भारत संघ बनाम पी.एन. मेनन (1994) 4 एस.सी.सी. 68; *राजस्थान राज्य बनाम अमृत लाल गांधी* (1997) 2 एस.सी.सी. 342: 1997 (1) एस.सी.आर. 121; *पंजाब राज्य बनाम अमर नाथ गोयल* (2005) 6 एस.सी.सी. 754: 2005 (2) पूरक एस.सी.आर. 549 – विभेदित।

वाद विधि संदर्भः

(1994) 4 एस.सी.सी. 68	विभेदित	कंडिका 32(i)
1997 (1) एस.सी.आर. 121	विभेदित	कंडिका 32(ii)
2005 (2) पूरक एस.सी.आर. 549	विभेदित	कंडिका 32(iii)

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : दीवानी अपील संख्या 8848-8849/2012

(मद्रास स्थित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश अपील संख्या 9 एवं 75/2007 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 17.12.2007 से उद्भूत)

के साथ

दीवानी अपील संख्या 8850-8852, 8853-8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861-8863, 8864, 8865, 8866, 8868, 8869, 8871, 8872, 8873-8874, 8875, 8876, 8877-8878, 8879, 8880, 8881, 8882, 8883 एवं 8870/2012

के. रामामूर्ति, ए.के. गांगुली, वी. कृष्णमूर्ति, डॉ. ए. फ्रांसिस जूलियन, राजू रामचंद्रन, एस. गुरुकृष्ण कुमार, अतिरिक्त महाधिवक्ता, न. शोभा, श्री राम जे. थलापति, वी. अधिमूलम, वी. बालाजी, एम.एस.एम. असई थम्बी, सी. कन्नन (बी.के. पाल की ओर से), हरि शंकर के., वी. बालचंद्रन, एस. बेनो बेन्सिगर (एम.ए. चिन्नासामी की ओर से), पी.आर. कोविलन पूंगकुन्त्रन, गीता कोविलन, आर.वी. कामेश्वरन, गौतम नारायण, अस्मिता सिंह, निखिल नय्यर, पी.वी. योगेश्वरन, दानिश जुबैर खान, सुमित कुमार, सैयद बुरहानुर रहमान, मधुर पंजवानी, ए. प्रसन्न वेंकट (बी. बालाजी की ओर से), सुब्रमण्यम प्रसाद उपस्थित पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **न्यायामूर्ति जगदीश सिंह खेहर** द्वारा सुनाया गया।

1. तमिलनाडु सरकार पेंशन की गणना के लिए वेतन की मात्रा निर्धारित करने हेतु वेतन में जोड़े जाने वाले भत्तों की संरचना तय करने के लिए समय-समय पर कार्यकारी आदेश जारी करती रही है। अपीलकर्ताओं का यह तर्क है कि राज्य सरकार ने पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए 'महंगाई भत्ता' को 'महंगाई वेतन' के रूप में मानने की एक सुसंगत प्रथा का पालन किया। उदाहरण के तौर पर हमें सूचित किया गया है कि दिनांक 11.03.1970 के एक सरकारी आदेश द्वारा राज्य सरकार ने 26.02.1970 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन निर्धारित करने हेतु औसत

उपलब्धियों की गणना के लिए वेतन के एक घटक के रूप में तत्कालीन प्रचलित दर पर 'महंगाई भत्ता' शामिल किया था। वर्तमान सरकारी आदेश दिनांक 11.03.1970 उन कर्मचारियों पर लागू था जो 26.02.1970 और 01.10.1970 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे।

2. एक कर्मचारी आर. नरसिम्हाचार, जो दिनांक 21.11.1969 को सेवानिवृत्त हुए थे, को उनकी पेंशन की गणना करते समय उनकी सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा प्राप्त किए जा रहे 'महंगाई भत्ता' का लाभ प्रदान नहीं किया गया था। यह इनकार इसलिए किया गया था क्योंकि दिनांक 11.03.1970 के सरकारी आदेश में उपर्युक्त लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को प्रदान किया गया था जो 26.02.1970 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे/होने वाले थे। उक्त इनकार से असंतुष्ट होकर, उन्होंने विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 1815/1986 दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि उनकी पेंशन की गणना सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा प्राप्त किए जा रहे 'महंगाई भत्ता' को 'महंगाई वेतन' के रूप में ध्यान में रखकर की जानी चाहिए थी। मद्रास स्थित माननीय उच्च न्यायपीठ (इसके बाद जिसे "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 15.03.1990 को उक्त विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को यह अभिनिर्धारित करते हुए मंजूर कर लिया कि राज्य सरकार का दिनांक 11.03.1970 के सरकारी आदेश की प्रयोज्यता को केवल 26.02.1970 और 01.10.1970 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों तक ही सीमित रखना सही नहीं था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता अपनी सेवानिवृत्ति के समय जो 'महंगाई भत्ता' प्राप्त कर रहा था, उसे उसकी पेंशन की गणना के लिए 'महंगाई वेतन' के रूप में माना जाए। दिनांक 26.02.1991 को, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 1815/1986 को मंजूर करने वाले आदेश दिनांक 15.03.1990 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर विनिर्दिष्ट आदेश अपील खारिज कर दी गई।

3. उपर्युक्त निर्णय दिनांक 15.03.1990 के आधार पर, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया था, दिनांक 04.12.1991 को एक स्पष्टीकरण संबंधी सरकारी आदेश जारी किया

गया था। दिनांक 04.12.1991 के सरकारी आदेश के तहत, 01.12.1966 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए भी, सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए 'महंगाई भत्ता' को पेंशन की गणना के प्रयोजनों के लिए 'महंगाई वेतन' के रूप में लिया जाएगा। दिनांक 01.12.1966 और 25.02.1970 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए, दिसंबर, 1966 में प्राप्त स्तर तक के 'महंगाई भत्ता' को पेंशन (और उपदान) के निर्धारण के लिए 'महंगाई वेतन' के रूप में ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए यह निवेदन किया गया है कि 25.02.1970 तक सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारियों के लिए 'महंगाई भत्ता' पेंशन का एक घटक बन गया।

4. तथ्यों के क्रम को सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, हमारे संज्ञान में यह भी लाया गया कि दिनांक 11.03.1970 के सरकारी आदेश को बाद के पत्र दिनांक 04.12.1991 द्वारा स्पष्ट किया गया था। उपर्युक्त आदेश और पत्र के अनुसार, दिनांक 26.02.1970 को या उसके बाद और 01.10.1970 तक सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के लिए, दिसंबर, 1966 में प्राप्त स्तर तक के 'महंगाई भत्ता' को पेंशन (और उपदान) के प्रयोजनों के लिए 'महंगाई वेतन' के रूप में माना जाना था। तदुपरान्त, दिनांक 04.12.1991 के एक बाद के सरकारी आदेश के माध्यम से, दिनांक 11.03.1970 के सरकारी आदेश और सरकार के पत्र दिनांक 04.02.1991 द्वारा परिकल्पित लाभ को 26.02.1970 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों को भी प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए थे।

5. इसके बाद दिनांक 04.12.1991 का एक सरकारी आदेश हमारे संज्ञान में लाया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि दिनांक 01.06.1988 से देय वैचारिक संशोधित पेंशन केवल दिनांक 01.12.1991 से ही भुनाई जा सकेगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि वे सरकारी सेवक जो 26.02.1970 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन दिनांक 01.12.1991 से पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी, वे 26.02.1970 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों के लिए परिकल्पित लाभों के लिए अपात्र होंगे। हालांकि, यदि संबंधित सरकारी कर्मचारी की

मृत्यु दिनांक 01.12.1991 के बाद हुई थी, तो 26.02.1970 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों के लिए परिकल्पित लाभ ऐसे सेवानिवृत्त लोगों के कानूनी वारिसों को जारी किए जाएंगे। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त सरकारी आदेश के लाभों के लिए, संदर्भित सेवानिवृत्त लोगों को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से लेकर 30.11.1991 तक उन्हें देय वास्तविक मौद्रिक लाभ से वंचित होना पड़ेगा (क्योंकि उपर्युक्त सरकारी आदेशों के तहत पेंशन का बकाया केवल दिनांक 01.12.1991 से ही देय था)।

6. उक्त आर. नरसिम्हाचार ने उच्च न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 4038/1992 दायर करके, अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि (21.11.1969) से लेकर 30.11.1991 तक के बकाये के लाभ से उन्हें वंचित करने के राज्य सरकार के निर्धारण का विरोध करते हुए दिनांक 04.12.1991 के सरकारी आदेश को पुनः चुनौती दी। उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त विनिर्दिष्ट आदेश याचिका मंजूर कर ली गई। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दिनांक 01.12.1991 से पहले की अवधि के लिए मौद्रिक लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, दिनांक 01.12.1991 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से लेकर 30.11.1991 तक बकाया राशि का हकदार माना गया। तदनुसार, बकाया राशि का लाभ प्रदान करने की अंतिम तिथि (01.12.1991) को अपास्त कर दिया गया।

7. बकाये के भुगतान को केवल दिनांक 01.12.1991 से सीमित करने की राज्य सरकार की कार्रवाई को अभिखंडित करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 4038/1992 में दिनांक 15.06.1993 को दिए गए निर्णय को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय के निर्णय को दिनांक 26.7.1993 के एक सरकारी आदेश द्वारा प्रभावी किया गया, जिसके द्वारा पूर्व के सरकारी आदेश दिनांक 04.12.1991 को संशोधित किया गया था। दिनांक 26.07.1993 के सरकारी आदेश के तहत, पेंशनभोगियों को उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति की तिथि से पेंशन के बकाये का पात्र माना गया। बकाये का

उक्त लाभ उन पेंशनभोगियों के कानूनी वारिसों को भी दिया गया जिनकी इस बीच मृत्यु हो गई थी।

8. पूर्ववर्ती कंडिकाओं में वर्णित तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर, यह स्पष्ट रूप से उभरता है कि पेंशन सहित सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए हर समय, बिना किसी रुकावट के, 'महंगाई भत्ता' को 'महंगाई वेतन' के रूप में लिया गया था। उपर्युक्त विवरण से यह भी प्रकट होता है कि पेंशन की गणना के लिए ध्यान में रखे जाने वाले 'महंगाई वेतन' के रूप में माने जाने वाले 'महंगाई भत्ता' का घटक राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के माध्यम से निर्धारित किया गया था। ऊपर दर्ज किया गया विवरण उन कर्मचारियों से संबंधित है जिनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 01.10.1970 से पहले की थी।

9. इसके बाद दर्ज की जा रही तथ्यात्मक स्थिति दिनांक 01.10.1970 के बाद की अवधि से संबंधित है।

10. दिनांक 06.02.1974 को, एक महंगाई भत्ता समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ उन भत्तों की सिफारिशें करना था जिन्हें सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन की गणना के लिए मजदूरी के घटक के रूप में माना जाना चाहिए। दिनांक 07.07.1974 को, महंगाई भत्ता समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की कि पेंशन सहित सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए 'महंगाई भत्ता' को पूरी तरह से 'महंगाई वेतन' के रूप में माना जाए। महंगाई भत्ता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, वित्त विभाग ने दिनांक 06.02.1975 को एक सरकारी आदेश जारी कर निर्देश दिया कि दिनांक 01.02.1975 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों द्वारा वास्तव में प्राप्त किए जा रहे 'महंगाई भत्ता' को पेंशन, (उपदान और यात्रा भत्ता) की गणना के लिए औसत वेतन की गणना (सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले के 10 महीनों की मजदूरी को ध्यान में रखकर) हेतु 'महंगाई वेतन' के रूप में माना जाए। यह उल्लेख करना

प्रासंगिक होगा कि उपर्युक्त मोड़ पर, 299/- रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारी 55/- रुपये 'महंगाई भत्ता' के रूप में पाने के हकदार थे; और 300/- रुपये तथा उससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी 70/- रुपये 'महंगाई भत्ता' के रूप में पाने के हकदार थे। तदनुसार, दिनांक 06.02.1975 के सरकारी आदेश द्वारा, राज्य सरकार ने पेंशन की गणना के लिए ध्यान में रखे जाने वाले 'महंगाई भत्ता' के घटक (55/- रुपये या 70/- रुपये, जैसी भी स्थिति हो) को निर्धारित किया। इस सरकारी आदेश का उद्देश्य यह था कि दिनांक 01.02.1975 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन की गणना के लिए 'महंगाई वेतन' के रूप में मजदूरी में तत्कालीन मौजूदा 'महंगाई भत्ता' के विलय का पूरा लाभ मिलना चाहिए। दिनांक 06.02.1975 के सरकारी आदेश ने दिनांक 01.02.1975 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को, औसत मजदूरी की गणना के लिए (उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले के दस महीनों की अवधि के दौरान) उनके द्वारा वास्तव में प्राप्त किए जा रहे 'महंगाई भत्ता' को 'महंगाई वेतन' के रूप में मानकर, उसे जोड़ने की अनुमति दी। उक्त औसत मजदूरी से वास्तव में देय पेंशन की गणना की जाएगी।

11. के. वेंकटरमण ने उच्च न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 8237/1995 दायर की, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि (30.06.1974) से पहले के दस महीनों की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्राप्त किए गए 'महंगाई भत्ता' को उनकी पेंशन की गणना के लिए 'महंगाई वेतन' के रूप में माना जाए। माँगा गया लाभ इसलिए अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि वह 30.06.1974 को सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि दिनांक 06.02.1975 के सरकारी आदेश का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को प्रदान किया गया था जो 01.02.1975 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। उपर्युक्त विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (इसके बाद जिसे "प्रशासनिक अधिकरण" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) को स्थानांतरित कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष, इस विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को स्थानांतरण आदेश संख्या 845/1991

के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया। प्रशासनिक अधिकरण ने दिनांक 01.04.1993 के अपने आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि के. वेंकटरमण अन्य पेंशनभोगियों को दिए गए लाभों के पात्र थे, भले ही वह अंतिम तिथि (01.02.1975) से पहले (अर्थात 30.06.1974 को) सेवानिवृत्त हुए थे।

12. राज्य सरकार ने के. वेंकटरमण के मामले में प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को (स्थानांतरण आदेश संख्या 845/1991 में, जिसका निर्णय दिनांक 01.04.1993 को हुआ था) स्वीकार कर लिया और उसे लागू किया। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए, वित्त (पेंशन) विभाग ने दिनांक 23.09.1993 को एक सरकारी आदेश जारी किया। तदनुसार, के. वेंकटरमण द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पहले के दस महीनों के दौरान वास्तव में प्राप्त किए गए 'महंगाई भत्ता' को 'महंगाई वेतन' के रूप में मानकर उनकी पेंशन की पुनर्गणना की गई। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से उभरता है कि जहाँ तक 'महंगाई भत्ता' के घटक का संबंध है, सेवानिवृत्त हो चुके और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन की गणना करने का तरीका समान कर दिया गया था।

13. हमें बताया गया कि जब किसी न किसी सरकारी आदेश द्वारा पेंशन की गणना के लिए पेंशनभोगी लाभों में कोई भेद या विसंगति पैदा की गई, तो न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से उसे समान कर दिया गया। ऐसे न्यायिक हस्तक्षेपों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया। इस तथ्य को, जो तथ्यात्मक होने के साथ-साथ कानूनी भी था, उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा विवाद नहीं किया गया। यह स्थिति चौथे तमिलनाडु वेतन आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों को अपनाए जाने तक जारी रही, जिसका विवरण इसके ठीक बाद दर्ज किया जाएगा।

14. दिनांक 01.01.1979 को, तमिलनाडु पेंशन नियमावली, 1978 (इसके बाद जिसे "पेंशन नियमावली" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) लागू की गई। पेंशन नियमावली के प्रख्यापन के बाद, सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का निर्धारण उक्त

नियमावली के अनुरूप किया जाना था। यह निर्विवाद है कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन अब पेंशन नियमावली के तहत विनियमित होती है। पेंशन नियमावली के तहत, पेंशन की गणना किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से ठीक पहले की उपलब्धियों/मजदूरी के आधार पर की जाती है। इसके लिए, पेंशन नियमावली के नियम 30 का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"30. उपलब्धियाँ - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(1) उपलब्धियों से अभिप्रेत है और इसमें शामिल हैं:-

(i) वेतन, जो उसकी व्यक्तिगत योग्यताओं के मद्देनजर दिए गए विशेष वेतन से भिन्न हो, जो उसके द्वारा मूल रूप से या स्थानापन्न क्षमता में (आपातकालीन प्रावधानों के तहत अस्थायी क्षमता सहित) धारित पद के लिए स्वीकृत किया गया हो या जिसके लिए वह संवर्ग (कैडर) में अपनी स्थिति के कारण पात्र है;

(ii) विशेष वेतन, महंगाई वेतन और व्यक्तिगत वेतन; तथा

(iii) कोई भी अन्य पारिश्रमिक जिसे सरकार द्वारा विशेष रूप से उपलब्धियों के रूप में वर्गीकृत किया जाए।"

(बल हमारा है)

पेंशन की गणना के लिए ध्यान में रखी जाने वाली उपलब्धियाँ/मजदूरी उन भत्तों पर निर्भर करती है जो वेतन में जोड़े जाते हैं। उक्त भत्तों की संरचना और उसके घटक राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सरकारी आदेशों के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। पेंशन नियमावली के नियम 30 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि 'महंगाई वेतन' उस मजदूरी का एक घटक है जिसे पेंशन की गणना के लिए ध्यान में रखा जाना है। और 'महंगाई वेतन' वास्तव में 'महंगाई भत्ता' का ही एक घटक है; जिसे राज्य सरकार द्वारा एक घोषणा (सरकारी

आदेश के माध्यम से) के तहत पेंशन की गणना के लिए ध्यान में रखने की मंजूरी दी जाती है।

15. वर्ष 1986 में, चौथे तमिलनाडु वेतन आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया। वेतन आयोग ने सिफारिश की कि पेंशन के एक उचित स्तर को सुनिश्चित करने के लिए, तीन वर्षों के अंत में (वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद) प्रचलित 'महंगाई भत्ता' को 'महंगाई वेतन' के रूप में माना जाना चाहिए। वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद, वित्त (पेंशन) विभाग ने दिनांक 30.04.1986 को एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि दिनांक 01.10.1987 को या उसके बाद सेवानिवृत्त (या मृत) होने वाले व्यक्तियों के संबंध में, दिनांक 30.09.1987 तक स्वीकृत 'महंगाई भत्ता' और 'अतिरिक्त महंगाई भत्ता' को पेंशन की गणना के लिए 'महंगाई वेतन' के रूप में माना जाएगा। औसत उपलब्धियों की गणना के लिए 'महंगाई वेतन' जोड़ने की यह रियायत उन लोगों के लिए 10 महीनों की अवधि तक बढ़ा दी गई थी जो 31.07.1987 से पहले या बाद में सेवानिवृत्त हुए थे। लेकिन दिनांक 01.10.1987 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अपनी पेंशन (पारिवारिक पेंशन और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान) की मात्रा निर्धारित करने के लिए अपनी मजदूरी में दिनांक 01.10.1987 तक स्वीकृत 'महंगाई भत्ता' जोड़ने के हकदार थे। इसलिए यह स्पष्ट है कि चौथे वेतन आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद भी 'महंगाई भत्ता' मजदूरी का एक घटक बना रहा। इस प्रकार, सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की गणना के लिए 'महंगाई भत्ता' को ध्यान में रखना जारी रखा गया।

16. पांचवें तमिलनाडु वेतन आयोग ने वर्ष 1989 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस वर्तमान वेतन आयोग ने पेंशन की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र की सिफारिश की:

मूल वेतन प्रति माह	प्रति माह पेंशन की दर
(i) 1,500 रुपये से अधिक न होना	मूल वेतन का 30 प्रतिशत, जो प्रति माह

	न्यूनतम 375 रुपये के अधीन होगा।
(ii) 1,500 रुपये से अधिक लेकिन 3,000 रुपये से अधिक न होना	मूल वेतन का 20 प्रतिशत, जो प्रति माह न्यूनतम 450 रुपये के अधीन होगा।
(iii) 3,000 रुपये से अधिक	मूल वेतन का 15 प्रतिशत, जो प्रति माह न्यूनतम 600 रुपये और अधिकतम 1,250 रुपये के अधीन होगा।

पांचवें वेतन आयोग ने उन मौजूदा पेंशनभोगियों के लिए भी पेंशन में वृद्धि के विभिन्न प्रतिशतों की सिफारिश की थी, जो 01.06.1988 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। दिनांक 09.08.1989 के एक सरकारी आदेश द्वारा वित्त विभाग ने पांचवें तमिलनाडु वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, पेंशन की गणना के लिए 'महंगाई भत्ता' को 'महंगाई वेतन' के रूप में जोड़ने हेतु एक स्लैब प्रणाली निर्धारित की। राज्य सरकार का यह निर्णय 01.06.1988 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए लागू किया जाना था।

17. अम्बासमुद्रम, तालुक पेंशनर एसोसिएशंस द्वारा प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष मूल आवेदन संख्या 1919/1991 दायर किया गया था। इसी प्रकार, बड़ी संख्या में अन्य मूल आवेदन (जिसमें मूल आवेदन संख्या 4952/1992, मूल आवेदन संख्या 2227/1992, मूल आवेदन संख्या 4265/1992, मूल आवेदन संख्या 4953/1992, मूल आवेदन संख्या 2645/1994 और मूल आवेदन संख्या 2646/1994 शामिल हैं) प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष दायर किए गए थे। उपर्युक्त मूल आवेदनों के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं/आवेदकों ने दिनांक 30.04.1986 के सरकारी आदेश (जो चौथे तमिलनाडु वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए जारी किया गया था) और साथ ही दिनांक 09.08.1989 के सरकारी आदेश (जो पांचवें तमिलनाडु वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को आगे

बढ़ाने के लिए जारी किया गया था) को चुनौती दी थी। उपर्युक्त सभी मूल आवेदनों का निपटारा प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिनांक 06.05.1996 के एक संयुक्त आदेश के माध्यम से किया गया। पूर्वोक्त मूल आवेदनों का निपटारा करते समय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी (मुख्य) भाग नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

"मूल आवेदन 1919/91

हम दिनांक 9.8.89 के जी.ओ.एमएस. संख्या 810 (वित्त और वेतन आयोग) विभाग को उस सीमा तक अपास्त करते हैं जहाँ तक यह आवेदक के संगठन को प्रभावित करता है, और उत्तरदाता को यह निर्देश देते हैं कि वह पूर्व-संशोधित पेंशन में 60% वृद्धि तथा 608 अंकों पर उपलब्ध महंगाई भत्ते का लाभ (जो 1.6.60 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों को उपलब्ध था) उन पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी प्रदान करे जिनकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु 1.6.60 के बाद हुई है।"

मूल आवेदन 2227/92

हम दिनांक 30.04.1986 के जी.ओ.एमएस. संख्या 371, वित्त और दिनांक 04.12.1991 के जी.ओ.एमएस. संख्या 911, वित्त को उस सीमा तक अभिखंडित करते हैं जहाँ तक उन्होंने अपनी प्रयोज्यता को परिशिष्ट 1 और 2 में सूचीबद्ध 01.10.1987 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों और परिवारों तथा परिशिष्ट में सूचीबद्ध 01.10.1987 से 31.05.1988 तक की अवधि के दौरान सरकार, स्थानीय निकायों और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए लोगों तक सीमित रखा है, और उत्तरदाता को यह निर्देश देते हैं कि वे पेंशन और संपरिवर्तन के मूल्य सहित उनके पेंशनभोगी लाभों को निर्धारित करने के लिए औसत उपलब्धियों की गणना हेतु सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के सभी दस महीनों के लिए महंगाई भत्ते (डी.ए.) और अतिरिक्त महंगाई भत्ते (ए.डी.ए.) को महंगाई वेतन के रूप में गिनें (शामिल करें), तथा उत्तरदाता को यह भी निर्देश देते हैं कि वे ऐसी पुनर्निर्धारण पर पेंशन के बकाये,

उपदान और पेंशन के संपरिवर्तन के मूल्य का भुगतान पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को उनकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तिथि, जैसी भी स्थिति हो, से गणना करके करें।

मूल आवेदन 4265/92

हम आवेदक के संबंध में दिनांक 06.02.1975 के जी.ओ.एमएस. संख्या 115, वित्त और दिनांक 04.12.1991 के जी.ओ.एमएस. संख्या 911, वित्त को उस सीमा तक अभिखंडित करते हैं जहाँ तक यह पेंशनभोगियों के वर्गीकरण से संबंधित है, और उत्तरदाताओं को यह निर्देश देते हैं कि वे आक्षेपित सरकारी आदेशों (जी.ओ.) का लाभ प्रभावित पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों तक विस्तारित करें तथा उनकी मूल पेंशन या पारिवारिक पेंशन के पुनर्निर्धारण पर परिकल्पित पेंशन और उपदान के बकाये तथा पारिवारिक पेंशन का भुगतान उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि या सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि, जैसी भी स्थिति हो, से करें।

मूल आवेदन संख्या 4953/1992

हम आवेदक के संबंध में दिनांक 30.04.1986 के जी.ओ.एमएस. संख्या 371, वित्त और दिनांक 04.12.1991 के जी.ओ.एमएस. संख्या 911, वित्त को उस सीमा तक अभिखंडित करते हैं जहाँ तक उन्होंने अपनी प्रयोज्यता को उन पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों तक सीमित रखा है जो 01.10.1987 से पहले और 01.04.1978 के बाद सेवानिवृत्त हुए या जिनकी मृत्यु हुई, जैसी भी स्थिति हो, और उत्तरदाता को यह निर्देश देते हैं कि वे उन पेंशनभोगियों को, जो 01.10.1987 से 31.05.1988 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे, औसत उपलब्धियों की गणना के लिए सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के सभी 10 महीनों के लिए महंगाई भत्ते (डी.ए.) और अतिरिक्त महंगाई भत्ते (ए.डी.ए.) को महंगाई वेतन के रूप में गिनने की अनुमति दें और आक्षेपित सरकारी आदेशों (जी.ओ.) का लाभ उन्हें प्रदान करें, तथा

प्रभावित पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को ऐसी पुनर्निर्धारण पर पेंशन के बकाये, उपदान और संपरिवर्तन के मूल्य का भुगतान सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तिथि, जैसी भी स्थिति हो, से संगणित करके करें।

मूल आवेदन संख्या 2645/1994

हम उत्तरदाताओं को यह निर्देश देते हैं कि वे दिनांक 23.09.1993 के जी.ओ.एमएस. संख्या 679, वित्त (पेंशन) विभाग का लाभ आवेदक को भी प्रदान करें और दिनांक 09.01.1974 से 31.10.1974 तक उनके द्वारा प्राप्त किए गए महंगाई भत्ते को ध्यान में रखते हुए दिनांक 01.11.1974 से उनकी पेंशन को संशोधित करें तथा दिनांक 01.11.1974 से हुए संशोधन के परिणामस्वरूप उन्हें देय बकाये का भुगतान करें।

मूल आवेदन संख्या 2646/1994

हम वित्त विभाग के पत्र संख्या 88079/पेंशन/93-I दिनांक 01.10.1993 को अभिखंडित करते हैं और उत्तरदाता को यह निर्देश देते हैं कि वे दिनांक 06.02.1975 के जी.ओ.एमएस. संख्या 115, वित्त में स्वीकृत लाभ को उन लोगों तक विस्तारित करें जो 01.10.1970 से 01.02.1975 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे, और उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की तिथियों से पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान (डी.सी.आर.जी.) के बकाये का भुगतान करें।

ये आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश आवेदकों की मृत्यु हो गई होगी या उनमें से अधिकांश 70 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त कर चुके होंगे, हम उत्तरदाताओं को यह निर्देश देते हैं कि वे उनकी पेंशन को पुनर्निर्धारित करें और इस आदेश या इसकी एक प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो महीने के भीतर बकाये का भुगतान करें।"

18. ऊपर दर्ज किया गया तथ्यात्मक विवरण समय-समय पर जारी किए गए उन सरकारी आदेशों को संदर्भित करता है, जिनमें 'महंगाई भत्ता' के उस घटक को निर्देशित किया गया था, जिसे पेंशन की गणना के लिए 'महंगाई वेतन' के रूप में ध्यान में रखा जाना था; उपर्युक्त सरकारी आदेशों के विरुद्ध उठाई गई चुनौतियों के परिणाम; और पेंशन की गणना के लिए ध्यान में रखे जाने वाले 'महंगाई वेतन' के घटक को लागू करने के संदर्भ में उसका अंतिम कार्यान्वयन। भले ही इसका विस्तृत विवरण ऊपर वर्णित किया जा चुका है, फिर भी इसका एक सारांश दर्ज करना आवश्यक है, ताकि समय-समय पर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को किस प्रकार 'महंगाई वेतन' का लाभ दिया गया है, उसका एक विहंगम दृश्य प्राप्त हो सके। तदनुसार, उपर्युक्त सारांश को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है:-

(i) दिनांक 11.03.1970 के सरकारी आदेश में केवल उन कर्मचारियों के लिए पेंशन की गणना हेतु मजदूरी के एक घटक के रूप में 'महंगाई भत्ता' शामिल किया गया था जो 26.02.1970 और 01.10.1970 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे। न्यायिक हस्तक्षेप द्वारा, 'महंगाई भत्ता' को 'महंगाई वेतन' के रूप में मानने के लाभ को विस्तारित करने वाले उपर्युक्त सरकारी आदेश को उन कर्मचारियों पर भी लागू माना गया जो 26.02.1970 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे। राज्य सरकार ने उपर्युक्त कानूनी स्थिति को स्वीकार कर लिया और 'महंगाई भत्ता' को 'महंगाई वेतन' के रूप में मानकर इसका समान लाभ सभी पेंशनभोगियों को समान रूप से प्रदान किया।

(ii) महंगाई भत्ता समिति द्वारा की गई उन सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए दिनांक 06.02.1975 का सरकारी आदेश जारी किया गया था, जिसके अनुसार दिनांक 01.04.1974 से स्वीकृत 'महंगाई भत्ता' (599/- रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए 55/- रुपये, और 600/- रुपये या उससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए 70/- रुपये) को 01.02.1975 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के दस महीनों के दौरान उनके

द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए महंगाई भत्ते को जोड़कर 'महंगाई वेतन' के रूप में माना जाएगा। न्यायिक हस्तक्षेप द्वारा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि उपर्युक्त लाभ उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो 02.10.1970 और 31.01.1975 के बीच की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे, और यह कि समय-समय पर स्वीकृत तथा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए 'महंगाई भत्ता' को 02.10.1970 और 31.01.1975 के बीच की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के मामले में (पेंशन की गणना के लिए) 'महंगाई वेतन' के रूप में माना जाएगा।

(iii) चौथे तमिलनाडु वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार करते हुए, दिनांक 30.04.1986 के सरकारी आदेश में उन कर्मचारियों को 'महंगाई भत्ता' और 'अतिरिक्त महंगाई भत्ता' को 'महंगाई वेतन' के रूप में गिनने की अनुमति देकर कतिपय पेंशनभोगी लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया था, जो 01.10.1987 और 31.05.1988 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे। 31.07.1987 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के मामले में औसत उपलब्धियों की गणना के लिए 'महंगाई वेतन' की रियायत पूरे दस महीनों के लिए बढ़ा दी गई थी। न्यायिक हस्तक्षेप द्वारा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि 'महंगाई भत्ता' को 'महंगाई वेतन' के रूप में जोड़ने की रियायत उन कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो 01.10.1987 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे (या जिनकी मृत्यु हो गई थी)। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि जो पेंशनभोगी 01.10.1987 से 31.05.1988 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे, वे पेंशन की गणना के लिए औसत वेतन की संगणना करने हेतु (अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के सभी दस महीनों के लिए) 'महंगाई भत्ता' और 'अतिरिक्त महंगाई भत्ता' को 'महंगाई वेतन' के रूप में गिनने के हकदार होंगे। राज्य सरकार ने उपर्युक्त कानूनी स्थिति को स्वीकार कर लिया और पूर्वोक्त लाभ सभी पेंशनभोगियों को समान रूप से प्रदान किए।

(iv) पांचवें तमिलनाडु वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, दिनांक 09.08.1989 के सरकारी आदेश द्वारा पेंशन की गणना के लिए मजदूरी के घटक में 'महंगाई भत्ता' को 'महंगाई वेतन' के रूप में जोड़ने हेतु एक स्लैब प्रणाली लागू की गई। इसमें 01.06.1988 से पहले और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के बीच एक भेद किया गया था। न्यायिक हस्तक्षेप द्वारा, 'महंगाई भत्ता' को 'महंगाई वेतन' के रूप में मानने का लाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर विचार किए बिना विस्तारित किया गया।

(v) दिनांक 04.12.1991 के सरकारी आदेश में यह प्रावधान किया गया था कि 'महंगाई भत्ता' के घटक को 'महंगाई वेतन' के रूप में ध्यान में रखकर पेंशन की पुनर्गणना पर आधारित पेंशन का बकाया, पेंशनभोगियों को दिनांक 01.12.1991 से जारी किया जाएगा, भले ही संबंधित पेंशनभोगी दिनांक 01.12.1991 से पहले की किसी तिथि से सेवानिवृत्त हुआ हो। न्यायिक हस्तक्षेप द्वारा, सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से 'महंगाई भत्ता' के घटक को 'महंगाई वेतन' के रूप में ध्यान में रखकर, पेंशन की पुनर्गणना पर आधारित पेंशन के बकाये को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जारी करने का आदेश दिया गया। राज्य सरकार ने उपर्युक्त कानूनी स्थिति को स्वीकार कर लिया और उक्त लाभ उन पेंशनभोगियों को विस्तारित किया जो 01.12.1991 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे।

उपरोक्त विधिक निर्णय की कंडिका 19, 20 और 21 का आपके द्वारा दिए गए अद्यतन निर्देशों, स्थापित विधिक शब्दावली तथा पूर्णतः देवनागरी लिपि के नियमों के अनुसार प्रामाणिक अनुवाद निम्नलिखित है:

19. उपर्युक्त तथ्यात्मक/कानूनी स्थिति पेंशन की गणना के लिए समय-समय पर 'महंगाई भत्ता' को 'महंगाई वेतन' के रूप में शामिल किए जाने का एक ऐतिहासिक विवरण है। इस विवरण से जो बात उभरकर सामने आती है, वह यह है कि सभी पेंशनभोगियों

(भूतपूर्व, वर्तमान और भविष्य के) को पेंशन की गणना के लिए 'महंगाई वेतन' के रूप में 'महंगाई भत्ता' का लाभ समान रूप से प्रदान किया गया था। जब कभी भी पेंशन की गणना के लिए महंगाई भत्ते/वेतन के आधार पर पेंशनभोगियों के किसी वर्ग के साथ भेदभाव किया गया, तो न्यायिक हस्तक्षेप ने उस संतुलन को बहाल कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उस समानता को प्रभावी किया गया। स्पष्ट रूप से, न्यायिक हस्तक्षेप ने 'महंगाई वेतन' के आधार पर पेंशनभोगियों के बीच पैदा किए गए वर्गीकरण को बार-बार मिटाया।

20. वर्तमान विवाद एक बार फिर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को देय पेंशन की गणना के लिए 'महंगाई वेतन' के रूप में माने जाने वाले 'महंगाई भत्ता' के घटक के संबंध में राज्य सरकार और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच पारस्परिक विवाद प्रस्तुत करता है। भले ही यह तात्कालिक विवाद भी दिनांक 09.08.1989 के सरकारी आदेश से उत्पन्न हुआ है, फिर भी यह मुकदमेबाजी के पिछले दौरों में (जो दिनांक 09.08.1989 के उसी सरकारी आदेश से उत्पन्न हुए थे) अनसुलझा रहा, संभवतः इसलिए क्योंकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से कोई भी वर्तमान मुकदमेबाजी में शामिल पेंशनभोगियों के वर्गों के अंतर्गत नहीं आता था। यहाँ कर्मचारी वे हैं जो 01.05.1988 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। आक्षेपित सरकारी आदेश दिनांक 09.08.1989 द्वारा, 01.06.1988 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले/हो चुके कर्मचारी के पेंशनभोगी लाभों की गणना एक निश्चित प्रतिशत पर 'महंगाई वेतन' में 'महंगाई भत्ता' जोड़कर की जानी आवश्यक थी। उपर्युक्त निर्धारण के बल पर, 01.06.1988 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी उन कर्मचारियों की तुलना में नुकसान की स्थिति में होंगे जो उससे पहले सेवानिवृत्त हुए थे।

21. दिनांक 09.08.1989 के आक्षेपित सरकारी आदेश को उपर्युक्त चुनौती सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के एक संघ द्वारा मूल आवेदन (मूल आवेदन संख्या 5771/2001) के माध्यम से प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष उठाई गई थी। उपर्युक्त मूल आवेदन को उच्च

न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ इसे विनिर्दिष्ट आदेश याचिका (स्थानांतरण) संख्या 32045/2005 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया। उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 20.04.2006 को उपर्युक्त विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को मंजूर कर लिया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार ने अपीलकर्ता संघ के सदस्यों को लाभ न देकर उनके साथ भेदभाव किया था। दिनांक 09.08.1989 का आक्षेपित सरकारी आदेश, उस सीमा तक जहाँ तक इसने 01.06.1988 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए समान लाभ (महंगाई वेतन के रूप में माने गए महंगाई भत्ता के घटक पर आधारित) प्रदान नहीं किया था, पोषणीय नहीं माना गया। तदनुसार विनिर्दिष्ट आदेश याचिका (स्थानांतरण) संख्या 32045/2005 को स्वीकार कर लिया गया।

22. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 20.04.2006 के आदेश से, जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश याचिका (स्थानांतरण) संख्या 32045/2005 को स्वीकार किया गया था, असंतुष्ट होकर राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एक विनिर्दिष्ट आदेश अपील दायर की। उपर्युक्त विनिर्दिष्ट आदेश अपील को, उसी विषय पर उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई अन्य विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं के साथ, सामूहिक न्यायनिर्णयन के लिए लिया गया। दिनांक 17.12.2007 के एक आदेश द्वारा, वर्ष 2006 की विनिर्दिष्ट आदेश अपील संख्या 1002 को स्वीकार कर लिया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 20.04.2006 के आदेश को (जिसके द्वारा 01.06.1988 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के दावे को स्वीकार किया गया था) अपास्त कर दिया गया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा उसी विषय वस्तु पर दायर की गई वे सभी विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाएँ, जिन्हें ऊपर संदर्भित विनिर्दिष्ट आदेश अपील के साथ निपटारे के लिए लिया गया था, एक साथ खारिज कर दी गईं। तात्कालिक दीवानी अपीलों के माध्यम से, विभिन्न कर्मचारी संगठनों और साथ ही कर्मचारियों ने (व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से), उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 17.12.2007 को पारित उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा

विनिर्दिष्ट आदेश अपील संख्या 1002/2006 (और उससे जुड़ी अपीलों) को स्वीकार किया गया था; तथा सामूहिक निपटारे के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट आदेश अपील (संख्या 1002/2006) के साथ ली गई कर्मचारियों (और कर्मचारी संगठनों) द्वारा प्रस्तुत विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

23. सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने सबसे पहले और सबसे प्रमुख रूप से, ऊपर उल्लिखित कानूनी और तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर दृढ़तापूर्वक यह तर्क दिया कि 'महंगाई वेतन' के रूप में 'महंगाई भत्ता' का लाभ हमेशा सभी पेंशनभोगियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर विचार किए बिना समान रूप से विस्तारित किया गया है। आगे यह तर्क दिया गया कि जब कभी भी उक्त विषय पर कोई भेदभाव हुआ, तो राज्य सरकार द्वारा पिछले सरकारी आदेशों में संशोधन/परिवर्तन करके उसका उचित निवारण किया गया। यह प्रतिवेदन किया गया कि दिनांक 09.08.1989 के उसी सरकारी आदेश से उत्पन्न होने वाला एक समान भेदभाव, जो अलग ढंग से वर्गीकृत कर्मचारियों के एक समूह से संबंधित था, न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से ठीक किया गया था (जिसका विवरण ऊपर पहले ही देखा जा चुका है)। विचाराधीन विषय पर बार-बार होने वाले उपर्युक्त न्यायनिर्णयन के दौरान, यह मामला एक बार इस न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय) के समक्ष भी आया था, जब राज्य सरकार द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई वर्ष 1996 की विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 23643 को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, राज्य सरकार द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई एक पुनर्विचार (समीक्षा) याचिका का भी स्वीकार्य रूप से यही हश्र हुआ। तदनुसार, यह प्रतिवेदन किया गया कि वही सिद्धांत, जो दिनांक 09.08.1989 के उसी सरकारी आदेश के तहत पेंशनभोगियों के विभिन्न वर्गों पर लागू किया गया था, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के इस वर्तमान वर्ग अर्थात 01.06.1988 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों पर भी विस्तारित किया जाना चाहिए।

24. दिनांक 09.08.1989 के आक्षेपित सरकारी आदेश को चुनौती देने के लिए उपर्युक्त कानूनी आधार के अलावा, अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा संलग्न किए गए एक संकलन (वर्ष 2012 की दीवानी अपील संख्या 8856 में) की ओर आकर्षित किया। उक्त संकलन का अवलम्बन हमें यह प्रदर्शित करने के लिए लिया गया था कि अपीलकर्ताओं (01.06.1988 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले) के साथ किस सीमा तक भेदभाव किया गया है। इसी कारण से हमारे विचारार्थ विभिन्न काल्पनिक दृष्टांत (स्थितियाँ) उदाहरण के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत की गईं। ऐसे प्रत्येक काल्पनिक दृष्टांत में, अपीलकर्ताओं ने एक ही पद के विरुद्ध की गई समान वर्षों की सेवा को ध्यान में रखा, जिसमें पेंशनभोगी अंतिम आहरित वेतन के समान घटक पर ही सेवानिवृत्त हुआ था। उससे यह स्थापित करने का प्रयास किया गया कि जो कर्मचारी 01.06.1988 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे, वे काफी नुकसान की स्थिति में होंगे। उदाहरण के तौर पर, वर्तमान विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए, उप समाहर्ता का पद धारण करने वाले एक कर्मचारी से संबंधित एक काल्पनिक स्थिति नीचे प्रस्तुत की जा रही है:

'ए'

लिया गया संवर्ग (कैडर)	:	उप समाहर्ता
सेवानिवृत्ति की तिथि	:	दिनांक 30.04.1988
शुद्ध अर्हक सेवा	:	33 वर्ष
वेतनमान	:	1340-75-1715-90-2435
अंतिम आहरित वेतन	:	2435 रुपये/-
औसत उपलब्धियाँ	:	2435 रुपये/-
निर्धारित मूल पेंशन	:	1218 रुपये/-
जी.ओ. 449 के अनुसार संशोधित पेंशन	:	1448 रुपये/-

दिनांक 01.06.1988 को जी.ओ. 810 के अनुसार संशोधन :		1622 रुपये/-
जी.ओ. 271 के अनुसार पेंशन	:	1622 रुपये/-
जोड़ें: 50% वृद्धि	:	811 रुपये/-
कुल पेंशन		2433 रुपये/-(दिनांक 01.06.1988 से प्रभावी)
(दिनांक 01.01.1966 को पेंशन)	:	2433 रुपये/-
जोड़ें: 111%	:	2701 रुपये/-
अंतरिम राहत-I	:	50 रुपये/-
अंतरिम राहत-II	:	244 रुपये/-
40% वृद्धि	:	974 रुपये/-
कुल पेंशन	:	6402 रुपये/-(दिनांक 01.01.1996 से प्रभावी)

xxx xxx xxx xxx

'बी'

लिया गया संवर्ग (कैडर)	:	उप समाहर्ता
सेवानिवृत्ति की तिथि	:	दिनांक 30.06.1988
शुद्ध अर्हक सेवा	:	33 वर्ष
वेतनमान	:	2200-75-2800-100-4000
औसत उपलब्धियाँ	:	2515 रुपये/- +
जोड़ें: जी.ओ. 810 के अनुसार 13%	:	327 रुपये/-
		2842 रुपये/-
पेंशन 50%	:	1421 रुपये/-
दिनांक 01.01.1966 को पेंशन	:	1421 रुपये/-

जोड़ें: 148%	:	2104 रुपये/-
अंतरिम राहत-I	:	50 रुपये/-
अंतरिम राहत-II	:	143 रुपये/-
40% वृद्धि	:	569 रुपये/-
कुल पेंशन	:	4287 रुपये/-(दिनांक 01.01.1996 से प्रभावी)

xxx xxx xxx xxx

'सी'

लिया गया संवर्ग (कैडर)	:	उप समाहर्ता
सेवानिवृत्ति की तिथि	:	दिनांक 30.06.1993
शुद्ध अर्हक सेवा	:	33 वर्ष
10 महीनों की औसत उपलब्धियाँ	:	2725 रुपये/-
जोड़ें: 13% वृद्धि	:	355 रुपये/-
		3080 रुपये/-
50% पर निर्धारित पेंशन	:	1540 रुपये/-
दिनांक 01.01.1996 को संशोधित पेंशन	:	1540 रुपये/-
जोड़ें: महंगाई भत्ता 148%	:	2280 रुपये/-
अंतरिम राहत-I	:	50 रुपये/-
अंतरिम राहत-II	:	154 रुपये/-
40% वृद्धि	:	616 रुपये/-
कुल पेंशन		4640 रुपये/-(दिनांक 01.06.1996 से प्रभावी)

ऊपर संदर्भित दृष्टांतों में की गई गणनाओं का विवरण देने के बाद, यह तर्क दिया गया कि इससे स्पष्ट रूप से यह बात उभरकर सामने आई है कि एक व्यक्ति जो दिनांक 30.04.1988 को (01.06.1988 से पहले) उप समाहर्ता के रूप में सेवानिवृत्त हुआ था, उसे 6,402/- रुपये पेंशन मिलेगी; जबकि एक उप समाहर्ता, जो दिनांक 30.06.1988 को सेवानिवृत्त हुआ था, उसे 4,287/- रुपये मिलेंगे; और एक उप समाहर्ता जो दिनांक 30.06.1993 को सेवानिवृत्त हुआ था, उसे पेंशन के रूप में 4,640/- रुपये मिलेंगे, जबकि उन सभी की अर्हक सेवा समान रूप से 33 वर्ष की थी और साथ ही अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले उनका अंतिम वेतन भी समान था। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊपर संदर्भित आंकड़ों को उच्च न्यायालय द्वारा महालेखाकार, तमिलनाडु से मांगे गए जवाब में स्वीकार कर लिया गया था। महालेखाकार, तमिलनाडु से मिले जवाब में केवल एक ही गलती पाई गई थी, जो कि उप समाहर्ता (जो 01.06.1988 से पहले सेवानिवृत्त हुआ था) के लिए 6,402/- रुपये के रूप में दर्शाई गई पेंशन की राशि थी। महालेखाकार, तमिलनाडु के अनुसार, सही विश्लेषण करने पर उक्त आंकड़ा 6,808/- रुपये होगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि समान परिस्थितियों में, 01.06.1988 से पहले सेवानिवृत्त होने वाला एक उप समाहर्ता 6,808/- रुपये की मासिक दर से पेंशन प्राप्त करेगा, जबकि उसके बाद दिनांक 30.06.1988 को सेवानिवृत्त होने वाले उप समाहर्ता को 4,287/- रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। इससे यह पता चलता है कि जो व्यक्ति निर्णायक तिथि अर्थात 01.06.1988 से पहले उसी संवर्ग से सेवानिवृत्त हुआ था, उसे उक्त तिथि के बाद उसी संवर्ग से सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति की तुलना में प्रति माह लगभग 2,500/- रुपये अधिक मिलेंगे। उपर्युक्त दृष्टांत को हमारे द्वारा इसलिए रेखांकित किया गया है, ताकि उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 17.12.2007 का आक्षेपित आदेश पारित करते समय निकाले गए निम्नलिखित निष्कर्षों की शुद्धता का निर्धारण किया जा सके:-

> "पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने पेंशन का कार्य-पत्रक दर्शाते हुए अपनी-अपनी गणनाएँ परिचालित कीं, जो उन कर्मचारियों के वर्ग को स्वीकार्य है जो 01.06.1988

से पूर्व असंशोधित वेतनमानों में सेवानिवृत्त हुए थे, तथा उनके समान ही स्थिति वाले उन कर्मचारियों को स्वीकार्य है जो 01.06.1988 के पश्चात संशोधित वेतनमानों में सेवानिवृत्त हुए थे। चार्ट भिन्न-भिन्न हैं। जहाँ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत चार्ट में यह दर्शाया गया है कि 01.06.1988 के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी, 01.06.1988 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की तुलना में थोड़ा अधिक प्राप्त करेंगे; वहीं व्यक्तिगत पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत गणना यह दर्शाती है कि 01.06.1988 से ठीक पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी, 01.06.1988 के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की तुलना में थोड़ा अधिक उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण से, हमने महालेखाकार, तमिलनाडु से भी राय मांगी थी, जिन्होंने अपना गणना चार्ट प्रस्तुत किया है, जो पक्षकारों के बीच परिचालित किया गया था और जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

> "2002 की विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 11634 में मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2006 की विनिर्दिष्ट आदेश अपील संख्या 1002 में सरकार और याचिकाकर्ताओं दोनों द्वारा प्रस्तुत कार्य-पत्रकों की संवीक्षा की गई है तथा निम्नलिखित टिप्पणियाँ की जाती हैं:-

ए. सरकारी कार्य-पत्रक:

वाद का विवरण	**जैसा है**	**जैसा होना चाहिए**
पदनाम: तहसीलदार सेवानिवृत्ति की तिथि: दिनांक 31.05.1988 वेतनमान: 1160-50-1460-70-1950 रुपये/- वेतन: 1,880 रुपये/-	1,387 रुपये/-	1,573 रुपये/-
पदनाम: तहसीलदार सेवानिवृत्ति की तिथि: दिनांक 01.06.1988 के	1,534 रुपये/-	1,534 रुपये/-

पश्चात वेतनमान: 2000-60-2300-75-3200 रुपये/- वेतन: 2,300 रुपये/-		

यदि इस वाद में 1/579 संशोधन लागू किया जाता है, तो दिनांक 01.06.1988 से संशोधित पेंशन 2,000 रुपये + 18% महंगाई भत्ता निर्धारित होती है।

बी. याचिकाकर्ता की कार्य-पत्रक: नौ दृष्टांतों में से पाँच मामले सही पाए गए हैं और चार मामलों में सही गणनाएँ नीचे दी गई हैं:-

वाद का विवरण	**जैसा है**	**जैसा होना चाहिए**
पदनाम: उप समाहर्ता ('ए') सेवानिवृत्ति की तिथि: दिनांक 30.04.1988 वेतनमान:1340-75-1715-90-2435 रुपये/- वेतन: 2,435 रुपये/-	2,433 रुपये/-(दिनांक 01.06.1988 से) 6,402 रुपये/- (दिनांक 01.01.1996 से)	2,589 रुपये/- (दिनांक 01.06.1988 से) 6,808 रुपये/- (दिनांक 01.01.1996 से)
पदनाम: प्रखंड विकास पदाधिकारी ('ए') सेवानिवृत्ति की तिथि: दिनांक 30.04.1988 वेतनमान:1045-45-1450-65-1675 रुपये/- वेतन: 1,515 रुपये/-	849 रुपये/- (दिनांक 01.02.1988 से) 1,427 रुपये/- (दिनांक 01.06.1988 से) 4,303 रुपये/- (दिनांक 01.01.1996 से)	947 रुपये/- (दिनांक 01.02.1988 से) (दिनांक 01.06.1988 से) 4,796 रुपये/- (दिनांक 01.01.1996 से)
पदनाम: माध्यमिक श्रेणी शिक्षक ('ए') (प्रवर श्रेणी) सेवानिवृत्ति की तिथि: दिनांक 31.12.1987 वेतनमान: रुपये/-	472 रुपये/- (दिनांक 01.01.1988 से) 815 रुपये/- (दिनांक 01.06.1988 से)	513 रुपये/- (दिनांक 01.01.1988 से) 890 रुपये/- (दिनांक 01.06.1988 से)

वेतन: 820 रुपये/-	2480 रुपये/- (दिनांक 01.01.1996 से)	2,790 रुपये/- (दिनांक 01.01.1996 से)
पदनाम: तहसीलदार सेवानिवृत्ति की तिथि: दिनांक 31.3.1990 वेतनमान:1160-50-1460-70-1950 रुपये/- वेतन: 2,180 रुपये/- दिनांक 01.01.1990 से	1,232 रुपये/- (दिनांक 01.04.1990 से) 3,720 रुपये/- (दिनांक 01.01.1996 से)	1,209 रुपये/- (दिनांक 01.04.1990 से) 3,654 रुपये/- (दिनांक 01.01.1996 से)

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियों के अधीन रहते हुए दृष्टांत स्वरूप दी गई गणनाएँ सही हैं।

शाखा अधिकारी/पेंशन 30"

उपर्युक्त चार्ट से यह प्रतीत होता है कि जो लोग समान पद से दिनांक 01.06.1988 से पूर्व या दिनांक 30.06.1988 के पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें लगभग समान मात्रा में पेंशन मिलेगी।

(बल हमारे द्वारा दिया गया है)

25. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात की ओर संकेत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि जो कर्मचारी समान पद से दिनांक 01.06.1988 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें बाद में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की तुलना में "...थोड़ी अधिक..." पेंशन संबंधी उपलब्धियाँ मिलेंगी, स्पष्ट रूप से निरर्थक था। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने ऊपर वर्णित दृष्टांत का संदर्भ देते हुए, हमारा ध्यान दिनांक 15.12.2011 के शपथपत्र (जो वर्ष 2012 की दीवानी अपील संख्या 8856 में प्रथम उत्तरदाता द्वारा दाखिल किया गया था) की ओर भी आकर्षित किया, जिसमें अपीलकर्ताओं की ओर से दिए गए तर्क पर विचार किया गया था। स्वीकृत स्थिति के अनुसार, प्रथम उत्तरदाता ने (दिनांक 15.12.2011 के शपथपत्र में) उचित गणना के आधार पर यह दावा किया कि

समान परिस्थितियों में, दिनांक 01.06.1988 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाला एक उप समाहर्ता 6,808/- रुपये की मासिक दर से पेंशन प्राप्त करेगा, जबकि दिनांक 30.06.1988 के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले एक उप समाहर्ता को 4,287/- रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। इससे यह पता चलता है कि केवल दिनांक 01.06.1988 से पहले या बाद में सेवानिवृत्त होने के आकस्मिक घटनाक्रम के कारण, पेंशनभोगियों में से एक को दूसरे की तुलना में लगभग 2,500/- रुपये प्रति माह अधिक पेंशन मिलेगी। हम संतुष्ट हैं कि ऊपर संदर्भित दृष्टांत, उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 17.12.2007 के आक्षेपित आदेश में निकाले गए इस निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से खारिज करता है कि समान पद से दिनांक 01.06.1988 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को "...थोड़ी अधिक" पेंशन संबंधी उपलब्धियाँ मिलेंगी।

26. हमने विचाराधीन विवाद पर अपनी विचारपूर्ण संवीक्षा की है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह समझना आवश्यक है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मनमानेपन की दलील पर आधारित किसी चुनौती के लिए, भेदभाव की मात्रा अप्रासंगिक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 सभी को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है। प्रश्न मनमानेपन और भेदभाव का है। ये अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसे निर्धारण में लाभ या हानि की सीमा अप्रासंगिक और परिणामहीन होती है। किसी लाभ या हानि से संबंधित व्यक्ति वास्तव में किस हद तक प्रभावित होता है, यह कभी भी न्यायालय के लिए इन आधारों पर उठाए गए दावे को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का वैध औचित्य नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं के दावे को केवल इस विश्वास के आधार पर खारिज करना कि 01.06.1988 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए घर ले जाने वाली पेंशन उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की तुलना में मामूली रूप से कम होगी, उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुख्य मुद्दे से बचना है। ऊपर संदर्भित अकेला दृष्टांत, जो कि प्रथम उत्तरदाता की ओर से भी विवाद का विषय नहीं है, स्पष्ट रूप से यह

दर्शाता है कि किसी दी गई स्थिति में, 01.06.1988 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को 01.06.1988 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की तुलना में पर्याप्त हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए, हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत मुद्दे का निर्धारण करते समय स्पष्ट रूप से त्रुटि की है।

27. इस मोड़ पर वैध वर्गीकरण की अवधारणा का परीक्षण करना भी आवश्यक है। एक वैध वर्गीकरण वास्तव में एक वैध भेदभाव है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 एक वैध वर्गीकरण की अनुमति देता है (देखें, *केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस* (1976) 2 एससीसी 310)। एक वैध वर्गीकरण न्यायसंगत उद्देश्य पर आधारित होता है। न्यायसंगत उद्देश्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले परिणाम के लिए यह पहले से ही मान लिया जाता है कि दूसरों की तुलना में कुछ लोगों को भिन्न प्रतिफल/व्यवहार के लिए चुना गया है। किसी वर्गीकरण को वैध होने के लिए अनिवार्य रूप से दो परीक्षणों को पूरा करना होगा। प्रथमतः, विभेदकारी तर्कसंगतता एक न्यायसंगत उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए। और द्वितीयतः, व्यक्तियों के एक समूह को दूसरे समूह से भिन्न रूप में चुनने का, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। विधिक रूप से, एक वैध वर्गीकरण के परीक्षण को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक सुबोध अंतरक पर आधारित वर्गीकरण के फलस्वरूप भिन्नता होनी चाहिए, जिसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध हो। जब कभी भी पेंशनभोगियों के एक समूह को दूसरों की तुलना में अनुकूल प्रतिफल के लिए वर्गीकृत करने हेतु कोई निर्णायक तिथि (जैसा कि वर्तमान विवाद में है) तय की जाती है, तो वैध वर्गीकरण (या वैध भेदभाव) के दोहरे परीक्षण को अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना चाहिए। वर्तमान अपीलों के संदर्भ में, "महंगाई भत्ते" (या उसके एक हिस्से) को "महंगाई वेतन" के रूप में मानने के समग्र उद्देश्य को समझना आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कर्मचारियों को निरंतर बढ़ती मुद्रास्फीति के प्रभावों को संतुलित करने के लिए 'महंगाई भत्ता' दिया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके

कि मुद्रास्फीति उस जीवन के आनंद में बाधा न डाले, जिसका एक कर्मचारी अभ्यस्त है। इसी प्रकार, 'महंगाई वेतन' का उद्देश्य निरंतर बढ़ती मुद्रास्फीति के प्रभावों को संतुलित करना है, ताकि एक पेंशनभोगी आजीविका के उन साधनों को पर्याप्त रूप से बनाए रख सके, जिनका वह अभ्यस्त है। सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को क्रमशः 'महंगाई भत्ता' और 'महंगाई वेतन' का लाभ देने के कारण को समझने के बाद, हम वर्तमान तथ्य की स्थिति में एक वैध वर्गीकरण (या एक वैध भेदभाव) करने के लिए उन दोहरे परीक्षणों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे, जिनका पूरा होना अनिवार्य है।

28. वर्तमान संदर्भ में, यह ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारियों को 'अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' को ध्यान में रखते हुए 'महंगाई भत्ता' दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों को 'महंगाई भत्ता' देकर बाजार में मुद्रास्फीति को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। जब कोई राज्य सरकार 'महंगाई भत्ते' को 'महंगाई वेतन' के रूप में मानने का विकल्प चुनती है, तो उद्देश्य वही रहता है अर्थात् सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 'महंगाई वेतन' का लाभ देकर बाजार में मुद्रास्फीति को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। चूंकि मुद्रास्फीति का घटक सभी कर्मचारियों और सभी पेंशनभोगियों को समान रूप से प्रभावित करता है (चाहे उनकी सेवा में प्रवेश या सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो), इसलिए मुद्रास्फीति की इस समस्या के समाधान के लिए 'महंगाई वेतन' के विभिन्न स्तरों को स्वीकार करना स्वतः ही संभव नहीं है। जिस प्रकार से सेवा में प्रवेश की तिथि (सेवारत कर्मचारियों के लिए) सेवारत कर्मचारियों को दिए जाने वाले 'महंगाई भत्ते' को निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक होगी, क्योंकि प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से इसका कोई संबंध नहीं है; ठीक उसी प्रकार, सेवानिवृत्ति की तिथि (पेंशनभोगियों के लिए) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए जाने वाले 'महंगाई वेतन' को निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक होगी। सच्चाई यह है कि मुद्रास्फीति की इस बुराई के समाधान के लिए वर्गीकरण के किसी वैध आधार की कल्पना करना कठिन हो सकता है। इस वाद में प्रस्तुत किसी भी

उद्देश्य के अभाव में, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगतता का परीक्षण करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कल्पना के इस व्यक्त क्षेत्र में हमारा भटकना इस तथ्य के कारण हुआ कि राज्य सरकार की ओर से दाखिल किए गए अभिवचनों से उस वर्गीकरण का कोई कारण प्रकट नहीं होता है, जो वर्तमान अपील में चुनौती का विषय है। भिन्न प्रतिफल/व्यवहार के लिए एक निर्णायक तिथि लागू करने हेतु इस न्यायालय के समक्ष दाखिल अभिवचनों में अपनाई गई एकमात्र स्थिति तमिलनाडु राज्य द्वारा दाखिल प्रति-शपथपत्र की कंडिका 4 में व्यक्त की गई है, जिसे यहाँ उद्धृत किया जा रहा है:-

> "विशेष अनुमति याचिका के आधारों में किए गए कथनों के संदर्भ में, मैं यह प्रस्तुत करता हूँ कि पाँचवें वेतन आयोग ने दिनांक 01.06.1988 से वेतन और पेंशन में संशोधन किया है। उपर्युक्त वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, सरकार ने जी.ओ.एमएस. संख्या 810, वित्त (पी.सी.) विभाग, दिनांक 09.08.1989 द्वारा दिनांक 01.06.1988 से पेंशन और पारिवारिक पेंशन के संशोधन के आदेश जारी किए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चौथे तमिलनाडु वेतन आयोग ने यह सिफारिश की है कि तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, उस अवधि तक स्वीकृत महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन के रूप में माना जा सकता है। चौथे वेतन आयोग का संशोधन दिनांक 01.10.1984 से प्रभावी किया गया था। उपर्युक्त सिफारिश के आधार पर, सरकार ने जी.ओ.एमएस. संख्या 371, वित्त, दिनांक 30.04.1986, सहपठित सरकारी पत्र संख्या 124414/पेंशन/86-1, दिनांक 11.02.1987 में आदेश जारी किए हैं कि दिनांक 30.09.1987 तक स्वीकृत महंगाई भत्ते को दिनांक 01.10.1987 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के मामले में पेंशन संबंधी लाभ के उद्देश्य से <u>महंगाई वेतन</u> माना जाएगा। जी.ओ.एमएस. 371, वित्त दिनांक 30.04.1985 (जैसा कि सरकारी पत्र संख्या 70707-ए/पेंशन/86-1, दिनांक 08.07.1986 में संशोधित है) में जारी आदेश इस प्रकार हैं:-

> "चौथे तमिलनाडु वेतन आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, उस अवधि तक स्वीकृत महंगाई भत्ते को एक उचित पेंशन स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महंगाई वेतन के रूप में माना जा सकता है। सरकार आयोग की सिफारिश स्वीकार करती है और निर्देश देती है कि उस सरकारी सेवक के मामले में, जो दिनांक 01.10.1987 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होगा, दिनांक 01.10.1987 तक स्वीकृत महंगाई भत्ते को पेंशन के उद्देश्य से महंगाई वेतन के रूप में माना जाएगा; सेवा के दौरान दिनांक 01.10.1987 को या उसके बाद होने वाली सरकारी सेवक की मृत्यु के मामले में, दिनांक 01.10.1987 तक स्वीकृत महंगाई भत्ते को पारिवारिक पेंशन की गणना के उद्देश्य से महंगाई वेतन माना जाएगा।"

इसलिए, यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने निर्णायक तिथि तक प्राप्त किए जाने वाले किसी उद्देश्य का खुलासा नहीं किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिनांक 09.08.1989 के आक्षेपित शासनादेश में किए गए वर्गीकरण के आधार/कारण के रूप में राज्य सरकार की वित्तीय बाधाओं का वर्णन नहीं किया गया था।

29. विचाराधीन मुद्दे का एक अन्य दृष्टिकोण से भी परीक्षण करने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि किसी भी कर्मचारी को 'महंगाई भत्ते' को 'महंगाई वेतन' के रूप में प्राप्त करने का तब तक कोई अधिकार नहीं है जब तक कि राज्य सरकार 'महंगाई भत्ते' को 'महंगाई वेतन' के रूप में मानने का निर्णय नहीं लेती। और इसलिए, राज्य सरकार को यह चुनने का अधिकार है कि 'महंगाई भत्ते' को 'महंगाई वेतन' माना जाना चाहिए या नहीं। इस प्रकार, राज्य सरकार के लिए यह विकल्प खुला है कि वह 'महंगाई भत्ते' के किसी भी हिस्से को 'महंगाई वेतन' के रूप में न माने। वित्तीय बाधाओं के मामले में, यह अपनाए जाने वाला सबसे उपयुक्त मार्ग होगा। इसी प्रकार, राज्य सरकार को यह चुनने का

अधिकार है कि 'महंगाई भत्ते' का कितना हिस्सा 'महंगाई वेतन' माना जाना चाहिए। इस प्रकार, राज्य सरकार के लिए 'महंगाई भत्ते' के एक अंश या पूरे हिस्से को भी 'महंगाई वेतन' के रूप में मानना संभव है। पेंशन नियमों के नियम 30 के आधार पर, यह स्पष्ट है कि पेंशन की गणना के लिए कर्मचारी की उपलब्धियों में 'महंगाई वेतन' का घटक जोड़ा जाएगा। ऐसी स्थिति में जहां राज्य सरकार ने यह चुना है कि 'महंगाई भत्ते' के एक विशेष घटक को 'महंगाई वेतन' के रूप में माना जाएगा, तो वह पेंशनभोगियों के एक समूह और दूसरे समूह के बीच देय पेंशन की गणना करते समय भेदभाव नहीं कर सकती (पिछली कंडिका में व्यक्त कारणों से)। निस्संदेह, एक वैध वर्गीकरण ऐसी कार्रवाई को न्यायसंगत ठहरा सकता है। इस मामले में, राज्य सरकार वर्गीकरण के लिए किसी भी औचित्य/आधार के साथ सामने नहीं आई है, जिसके द्वारा पेंशनभोगियों के एक समूह को भिन्न प्रतिफल/व्यवहार के लिए दूसरों से अलग किया गया हो।

30. वर्तमान विवाद को किसी कर्मचारी की कुल घर ले जाने वाली पेंशन के निर्धारण के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए। ऊपर संदर्भित सभी शासनादेश, पेंशन की गणना के लिए 'महंगाई वेतन' के रूप में माने जाने वाले 'महंगाई भत्ते' की मात्रा से संबंधित हैं। 'महंगाई वेतन' उन कई घटकों में से एक है, जो पेंशन के अंतिम निर्धारण में शामिल होते हैं। इसलिए, वर्तमान विवाद के न्यायनिर्णयन में ध्यान अंतिम घर ले जाने वाली पेंशन के बजाय 'महंगाई वेतन' पर होना चाहिए। 'महंगाई भत्ते' को 'महंगाई वेतन' के रूप में मानने की प्रासंगिकता और उद्देश्य को पूर्ववर्ती कंडिकाओं में स्पष्ट किया गया है। इसलिए, स्पष्ट रूप से, पेंशनभोगी को देय पेंशन का निर्धारण करते समय उसके वेतन में 'महंगाई वेतन' जोड़ने का उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करना है। वर्तमान विवाद का परीक्षण करते समय उक्त उद्देश्य को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना होगा। प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के संदर्भ के बिना कोई भी वर्गीकरण मनमाना होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के

अंतर्गत प्रदान किए गए संरक्षण का उल्लंघन होगा, साथ ही यह भेदभावपूर्ण भी होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत प्रदान किए गए संरक्षण का उल्लंघन होगा।

31. विचाराधीन विवाद पर अपनी विचारपूर्ण संवीक्षा करने के बाद, हमारे लिए राज्य सरकार द्वारा यहाँ अपीलकर्ताओं (जो दिनांक 01.06.1988 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे) के समान स्थिति वाले पेंशनभोगियों को उनसे पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों से वर्गीकृत करने का कोई वैध औचित्य खोजना संभव नहीं है। ऐसे सभी पेंशनभोगियों के मामले में मुद्रास्फीति का प्रभाव उन सभी पर समान रहा होगा, चाहे वे दिनांक 01.06.1988 से पहले सेवानिवृत्त हुए हों या उसके बाद। पेंशन की गणना के लिए वेतन में 'महंगाई वेतन' के घटक को जोड़ने का उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव की भरपाई करना है। इसलिए, हमारे विचारपूर्ण मत में, दिनांक 09.08.1989 के आक्षेपित शासनादेश में राज्य सरकार द्वारा किया गया वर्तमान वर्गीकरण, जिसमें दिनांक 01.06.1988 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की तुलना में 'महंगाई वेतन' का कम घटक देकर लाभहीन स्थिति में रखा गया है, स्पष्ट रूप से मनमाना और भेदभावपूर्ण है, और इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन के रूप में अखंडित किए जाने योग्य है।

32. हमारे लिए इस न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों पर विचार करना भी अपरिहार्य है, जिन्हें राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे संज्ञान में लाया गया था। उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों की पुष्टि के लिए तीन निर्णयों का अवलंबन लिया गया।

(i) सबसे पहले, इस न्यायालय द्वारा *भारत संघ बनाम पी.एन. मेनन,* (1994) 4 एससीसी 68 में दिए गए निर्णय का अवलंबन लिया गया। प्रथम उद्धृत निर्णय के तथ्य यह प्रकट करते हैं कि तीसरे वेतन आयोग द्वारा राज्य सरकार को एक सिफारिश की गई थी, जिसमें अभूतपूर्व मुद्रास्फीति के आधार पर मौजूदा वेतन स्थिति की समीक्षा करने का सुझाव

दिया गया था। (तीसरे वेतन आयोग द्वारा) राज्य सरकार से यह निर्णय लेने के लिए कहा गया था कि क्या महंगाई भत्ता योजना को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए; या इसके विकल्प के रूप में स्वयं वेतनमानों को ही संशोधित किया जाना चाहिए। तीसरे वेतन आयोग का यह सुझाव इस तथ्य पर आधारित था कि मूल्य स्तर सूचकांक 12 महीने के औसत से ऊपर 272 तक बढ़ गया था। मामले पर विचार करने के बाद, राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता योजना को विस्तार देने का निर्णय लिया। इसने साथ ही एक कार्यालय ज्ञापन (जिसे इसके बाद 'ओ.एम.' कहा गया है) जारी किया, जिसके द्वारा 'महंगाई भत्ते' के एक हिस्से को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए वेतन के रूप में माना जाना था। उक्त कार्यालय ज्ञापन का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया गया जो 30.09.1977 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे या होंगे। उक्त कार्यालय ज्ञापन में यह भी परिकल्पना की गई थी कि जो व्यक्ति 30.09.1977 को या उसके बाद लेकिन 30.04.1979 से बाद में सेवानिवृत्त नहीं हुए थे, उन्हें दो विकल्पों में से एक को चुनने की अनुमति दी जाएगी। वे या तो 'महंगाई भत्ते' के तत्व को छोड़कर मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का लाभ ले सकते थे, अथवा 'महंगाई भत्ते' के तत्व को शामिल करके इसका लाभ ले सकते थे। इस न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए जो मुद्दा आया वह यह था कि क्या उक्त कार्यालय ज्ञापन कानूनन बना रहने योग्य था, क्योंकि इसमें सेवानिवृत्ति की तिथियों पर ध्यान दिए बिना सभी सेवानिवृत्त लोगों को समान लाभ नहीं दिया गया था। सभी उत्तरदाता 30.09.1997 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। उक्त मुद्दे का निर्धारण करते समय, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ इस तथ्य पर विचार किया कि 'महंगाई भत्ते' के एक हिस्से को वेतन के साथ मिलाने का निर्णय मूल्य सूचकांक स्तर के संदर्भ में लिया गया था। यह निर्णय तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिया गया था। मामले के उक्त दृष्टिकोण में, और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि 30.09.1977 और 30.04.1979 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को महंगाई वेतन के तत्व को शामिल या बहिष्कृत करके अपनी पेंशन और (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी) की गणना कराने का

विकल्प दिया गया था, इस न्यायालय ने व्यवस्था दी कि राज्य सरकार ने सभी के लिए समान लाभ सुनिश्चित करने वाले उपाय अपनाए थे। और यह कि, एक वर्ग के भीतर दूसरा वर्ग बनाने का कोई इरादा नहीं था। इस न्यायालय ने महसूस किया कि इस वर्गीकरण का 30.09.1977 को 272 के मूल्य स्तर सूचकांक के साथ एक तर्कसंगत संबंध था। इस न्यायालय के अनुसार यह न्यायसंगत और वैध था। वह तथ्यात्मक स्थिति जिसे रेखांकित करने की आवश्यकता है, जहाँ तक प्रथम उद्धृत निर्णय यानी *पी.एन. मेनन* के मामले (उपरोक्त) का संबंध है, वह यह है कि उत्तरदाता कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त होने पर कभी भी महंगाई वेतन प्राप्त नहीं कर रहे थे, और इसलिए, प्रश्नगत कार्यालय ज्ञापन उन पर लागू नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार इस न्यायालय ने उद्धृत मामले में मामले का परीक्षण किया। इस न्यायालय ने यह भी देखा कि प्रश्नगत कार्यालय ज्ञापन से पहले, पेंशन योजना अंशदायी थी, और केवल 22.09.1977 से पेंशन योजना को गैर-अंशदायी बनाया गया था। चूंकि प्रथम उद्धृत मामले में उत्तरदाता कर्मचारी इसे लागू करने के समय सेवा में नहीं थे, इसलिए उन्हें उक्त लाभ के लिए पात्र नहीं माना गया।

(ii) इसके बाद, विद्वान अधिवक्ता ने *राजस्थान राज्य बनाम अमृत लाल गांधी*, (1997) 2 एससीसी 342 के निर्णय का अवलंबन लिया। दूसरे उद्धृत निर्णय के तथ्य यह थे कि मूल रूप से जोधपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक अंशदायी भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित थे। उन पर कोई पेंशन योजना लागू नहीं थी। 1983 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक समिति ने विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के लिए पेंशन-सह-ग्रेच्युटी शुरू करने की सिफारिश की। इसके बाद, जोधपुर विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट ने विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए पेंशन योजना शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। सिंडिकेट और सीनेट के प्रस्ताव में यह भी प्रावधान था कि मौजूदा शिक्षकों से विकल्प मांगे जाएंगे, ताकि वे यह चुन सकें कि क्या उन्हें अंशदायी भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित होना चाहिए, या वे पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ स्वीकार करना चाहेंगे। चूंकि जोधपुर

विश्वविद्यालय की सिंडिकेट और सीनेट की सिफारिश के वित्तीय निहितार्थ थे, इसलिए राज्य सरकार की मंजूरी अनिवार्य थी। सिफारिशों का परीक्षण करने पर, राज्य सरकार ने 01.01.1990 से पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया। उसके आधार पर, सिंडिकेट और सीनेट ने एक सहमति प्रस्ताव पारित किया जिसमें व्यक्त किया गया कि पेंशन योजना 01.01.1990 से प्रभावी होगी। इसके आधार पर, जो शिक्षक 01.01.1990 को या उसके बाद जोधपुर विश्वविद्यालय की सेवा में थे, उन्हें अपने विकल्प जमा करने की आवश्यकता थी। दूसरे उद्धृत निर्णय में विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न हुआ वह यह था कि क्या 01.01.1990 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन का दावा करने का वैसा ही अधिकार था, जैसा उन कर्मचारियों को दिया जा रहा था जो 01.01.1990 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे/होंगे। उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त लोगों की दलील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह माना कि पेंशन योजना को उन कर्मचारियों तक विस्तारित किया जाना चाहिए जो 01.01.1986 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अनुमोदन नहीं किया। इस न्यायालय ने देखा कि जोधपुर विश्वविद्यालय की सिंडिकेट और सीनेट के प्रस्तावों को राज्य विधानमंडल द्वारा विश्वविद्यालय पेंशन नियम और सामान्य भविष्य निधि नियम पारित किए जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। इस न्यायालय ने यह भी देखा कि राज्य सरकार ने अपने शपथपत्र में एक स्पष्ट रुख अपनाया था कि पेंशन योजना शुरू करना केवल 01.01.1990 से ही आर्थिक रूप से व्यवहार्य था। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकार पेंशन योजना का वित्तीय बोझ केवल तभी उठा सकती थी यदि इसे 01.01.1990 से प्रभावी रूप से लागू किया जाता। राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई उक्त स्थिति के आधार पर, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 01.01.1990 से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू करने में राज्य सरकार का निर्धारण मनमाने ढंग से या बिना किसी वैध कारण/आधार के तय नहीं किया गया था। इस न्यायालय ने तदनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को अपास्त कर दिया।

(iii) अंत में, विद्वान अधिवक्ता द्वारा *पंजाब राज्य बनाम अमर नाथ गोयल*, (2005) 6 एससीसी 754 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंबन लिया गया। तीसरे उद्धृत मामले में, केंद्र सरकार और साथ ही पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों के उन कर्मचारियों ने, जो दिनांक 01.04.1995 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, 2.5 लाख रुपये की बढ़ी हुई सीमा तक मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की मांग की थी। कर्मचारियों द्वारा उठाए गए दावे को कुछ मामलों में खारिज कर दिया गया था, जबकि कुछ अन्य मामलों में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और उच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया था कि मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की बढ़ी हुई मात्रा का लाभ उन कर्मचारियों को भी दिया जाना चाहिए जो दिनांक 01.07.1993 और 31.03.1995 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे। उक्त विवाद का परीक्षण करने के बाद, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लाभ को केवल उन कर्मचारियों तक सीमित करने का केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का निर्णय जो दिनांक 01.04.1995 को या उसके बाद सेवानिवृत्त (या जिनकी मृत्यु) हुए थे, वित्तीय निहितार्थों के एक ठोस निर्धारण पर आधारित था, इस प्रकार, यह माना गया कि निर्णायक तिथि (01.04.1995) वैसी मनमानी या तर्कहीन नहीं थी, जैसा कि आरोप लगाया गया था। परिणामस्वरूप, निर्णायक तिथि को मनमाना बताते हुए और यह आरोप लगाते हुए कि यह किसी तर्कसंगत मानदंड पर आधारित नहीं थी, कर्मचारियों की ओर से दी गई दलील को खारिज कर दिया गया।

33. हमने न्यायालय के समक्ष उद्धृत निर्णयों के आधार पर उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है। हमारे मत में, जिन निर्णयों का अवलंबन लिया गया है, उनमें से कोई भी वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक नहीं है।

(i) जहाँ तक *पी.एन. मेनन* के मामले (उपरोक्त) का संबंध है, विवाद का परीक्षण करने के बाद, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राज्य सरकार ने ऐसे उपाय अपनाए जिससे सभी के लिए समान लाभ सुनिश्चित हो सके। इस न्यायालय ने यह भी विचार व्यक्त किया कि राज्य सरकार का एक वर्ग के भीतर दूसरा वर्ग बनाने का कोई इरादा नहीं था।

दिनांक 30.09.1977 को 272 का मूल्य स्तर सूचकांक राज्य सरकार के निर्णय के लिए निर्धारक कारक था। तदनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक वैध और तर्कसंगत संबंध था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस न्यायालय ने महसूस किया कि उत्तरदाताओं को लाभ न देने का राज्य सरकार का निर्णय इस तथ्य पर आधारित था कि वे अपनी सेवानिवृत्ति के समय किसी भी 'महंगाई वेतन' को प्राप्त नहीं कर रहे थे। इसके अलावा, चूंकि जब उत्तरदाता सेवानिवृत्त हुए थे तब पारिवारिक पेंशन योजना अंशदायी थी, इसलिए उत्तरदाता उन लाभों की मांग उचित रूप से नहीं कर सकते थे, जो पेंशन योजना को गैर-अंशदायी बनाए जाने के बाद केवल सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध थे। इसलिए, वर्तमान विवाद के साथ प्रथम उद्धृत निर्णय का कोई सह-संबंध नहीं है।

(ii) *अमृत लाल गांधी* के मामले (उपरोक्त) में, जोधपुर विश्वविद्यालय की सिंडिकेट और सीनेट द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर पहली बार विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए पेंशन लागू की गई थी। इन्हें राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.1990 से अनुमोदित किया गया था। इसलिए, वर्तमान विवाद पेंशनभोगियों के एक समूह द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाने और पेंशनभोगियों के दूसरे समूह के बीच का नहीं है। शुरुआत में वहां कोई पेंशनभोगी नहीं थे। सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति मौजूदा भविष्य निधि योजना के अंतर्गत भविष्य निधि के हकदार थे। इसलिए, दूसरे उद्धृत निर्णय में पेंशनभोगियों के एक समूह का दूसरे समूह से भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठा। इस प्रकार, वित्तीय व्यवहार्यता एक प्रासंगिक मुद्दा थी। राज्य सरकार ने यह रुख अपनाया कि पेंशन योजना की शुरुआत केवल तभी वित्तीय रूप से व्यवहार्य थी जब योजना दिनांक 01.01.1990 से लागू की जाती। निर्णायक तिथि ने स्पष्ट रूप से एक सुबोध अंतरक पर आधारित वर्गीकरण को प्रकट किया, जिसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध था। इसलिए, हमारे मत में, वर्तमान विवाद के साथ दूसरे उद्धृत निर्णय का कोई सह-संबंध नहीं है।

(iii) जहां तक तीसरे उद्धृत निर्णय का संबंध है, इस न्यायालय ने *अमृत लाल गांधी* के मामले (उपरोक्त) में एक ऐसे मुद्दे का परीक्षण किया जहां, बढ़ी हुई मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का दावा केवल उन कर्मचारियों द्वारा किया जा सकता था, जो निर्णायक तिथि (01.04.1995) के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एक बार मिलने वाला लाभ है, जबकि पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके पूरे जीवनकाल के लिए प्राप्त होती है। इसलिए पेंशन एक निरंतर मिलने वाला लाभ है। मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एक बार मिलने वाला लाभ है, जो उस समय (सेवानिवृत्ति के समय) प्रचलित नियमों के अनुसार संवितरित किया जाता है। इसमें भी, विचाराधीन मुद्दा किसी भी निर्णायक तिथि के आधार पर, निरंतर मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभ की गणना के लिए अलग-अलग उपायों का नहीं था। इसलिए हमारा यह मत है कि वर्तमान निर्णय भी वर्तमान विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए प्रासंगिक नहीं है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों का अवलंबन लिया गया है, उनमें से किसी का भी वर्तमान विवाद से कोई संबंध नहीं है।

34. वर्तमान अपीलें तदनुसार स्वीकार की जाती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 17.12.2007 को एतद्वारा अपास्त किया जाता है। दिनांक 09.08.1989 का आक्षेपित शासनादेश, उस सीमा तक जहां तक वह दिनांक 01.06.1988 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को, दिनांक 01.06.1988 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की तुलना में 'महंगाई वेतन' का कम घटक प्रदान करता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होने के कारण अपास्त किया जाता है।

के.के.टी. अपीलें स्वीकार की गईं।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।